न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/36/2018	02–11–2018	09–01–2019

1–चेतराम पुत्र लालचन्द पौत्र शंकर जाति कुम्हार निवासी ग्राम मांढ़ण तहसील नीमराणा जिला अलवर राज0

–प्रार्थी

बनाम

1–रमेश कुमार पुत्र शिव कुमार जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मांढ़ण तहसील नीमराणा जिला अलवर हाल आबाद हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ राज0

–अप्रार्थी

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थित

01. श्री पवन सिंह चौहान –वकील प्रार्थी
02. श्री रामेश्वर दयाल –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी, नीमराणा के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी चिरंजीलाल वगै0 बनाम रमेश कुमार वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व वाद व प्रा0पत्र 212 बअनुवानी चिरंजीलाल वगै0 बनाम रमेश कुमार वगै0 उपखण्ड अधिकारी, नीमराणा में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 740 रकबा 10 एयर ग्राम मांढ़ण तहसील नीमराणा में स्थित है। उपरोक्त प्रकरण में पहले तारीख पेशी 06.08.2018 नियत थी उसके बाद 07.08.2018, 16.08.2018, 21.08.2018, 06.09.2018, 20.09.2018, 04.10.2018, 18.10.2018 तथा वर्तमान में 08.11.2018 नियत की गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक तारीख पेशी नियत की जा रही है तथा प्रकरण के निस्तारण में अकारण ही जल्दबाजी की जा रही है। जब प्रार्थी के वकील ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष आपत्ति जाहिर की लेकिन पीठासीन अधिकारी ने सरासर नजर अंदाज कर दिया तथा यह कहां कि ऐसे ही जल्दी–जल्दी तारीख लगाकर प्रकरण का निस्तारण करूंगा। दिनांक 28.10.2018 को असल अप्रार्थी ने गांव में आकर ऐलानीया कहां कि मैंने एसडीओ साहब से बात कर ली है। अगली पेशी पर तुम्हारा दावा खारिज हो जायेगा। अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकार की धमकी दिये जाने से तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक–नजदीक की पेशी लगाने से प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि एसडीओ साहब अप्रार्थी के अनुचित प्रभाव में आ चुके हैं व प्रार्थी के खिलाफ निर्णय करेंगे। ऐसी अवस्था में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निस्पक्ष निर्णय व न्याय की की कोई उम्मीद नहीं है। जिस कारण मुकदमा किसी अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रा0पत्र 212 बअनुवानी चिरंजीलाल वगै0 बनाम रमेश कुमार वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमराणा से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जो वर्णित तारीखें दी गयी है। जिन्हें दिये जाने का कारण नहीं बताया गया है। प्रकरण में तारीख पेशी 06.08.2018 नियत थी किन्तु उस दिन पीठासीन अधिकारी दौरे पर थे। इसलिए सभी मुकदमों में दिनांक 07.08.2018 की पेशी नियत की गई। दिनांक 07.08.2018 के बाद 16.08.2018 नियत कर दी गई दिनांक 16.08.2018 को पीठासीन अधिकारी मिटिंग में थे इसलिए मुकदमें में 21.08.2018 की तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 21.08.2018, 06.09.2018 व 20.09.2018 की पेशीयों पर वकुलाय द्वारा कार्य स्थगित रखा गया था। दिनांक 04.10.2018, 18.10.2018 की पेशी जवाब बहस दरख्वास्त में नियत की गई थी। अब आगामी तारीख पेशी 20.11.2018 नियत है। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कहां कि मैं जल्दी–जल्दी की तारीख लगाकर प्रकरण को निस्तारण करूंगा। प्रार्थी को यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थी ने दिनांक 28.10.2018 को गांव में आकर ऐलानिया कहां कि उसने एसडीओ साहब से बात कर ली है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि उक्त वाद मय प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रकरण में तारीख पेशी 06.08.2018 नियत थी। पीठासीन अधिकारी के दौरे पर होने के कारण समस्त पत्रावलियां 07.08.2018 में नियत की गई। दिनांक 07.08.2018 के बाद दिनांक 16.08.2018 नियत की गई। दिनांक 16.08.2018 को पीठासीन अधिकारी मिटिंग में जाने के कारण आगामी पेशी 21.08.2018 नियत की गई। उसके बाद 06.09.2018, 20.09.2018 को वकुलाय द्वारा कार्य स्थगित रख दिया गया। दिनांक 04.10.2018, 18.10.2018 में पत्रावली जवाब बहस दरख्वास्त में नियत थी। अब पत्रावली में दिनांक 20.11.2018 नियत है। पत्रावली में जल्दी–जल्दी तारीख पेशी नहीं दी गई है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये समस्त आरोप असत्य व अस्वीकार है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर निर्णय दिया जावेगा। फिर भी यदि न्यायालय चाहे तो मुकदमा पत्रावली को अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि असल अप्रार्थी वर्तमान में जिला हनुमानगढ़ में निवास कर रहे है जिन्हें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा या नजदीकी उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में जाने से कोई फर्क नहीं पडेगा। अतः उपखण्ड अधिकारी, नीमराणा को निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन प्रकरण बअनुवान चिरंजीलाल वगै0 बनाम रमेश कुमार वगै0 को दिनांक 29.01.2019 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में मुन्तकिल किया जावें। उभय–पक्षकारान् को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29.01.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी, नीमराणा व उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **09–01–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)